

Med Res 54  
14

22.01.26

वकील पार्षी उपस्थित। वकील पार्षी  
की ओर से प्रकरण में नोट प्रेषित किया गया है।  
ऐसी स्थिति में प्रकरण को आगे चलाने का अर्थोक्ति  
नहीं होता है। पार्षीगण का आवेदन इसी स्तर  
पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली कुशल सुभाष चोगट दाखिल  
दफ्तर है।

सहायक क्लर्क  
(S.D.O.) बालोतरा